पेयजल योजनाओं की नियमित जलापूर्ति में कतिपय कारणों से आ रही बाधाओं के निराकरण/निस्तारण हेतु दिनांक 06.04.2026 को जल जीवन मिशन के अन्तर्गत संचालित योजनाओं की विस्तृत समीक्षा बैठक की कार्यवृत्त

अध्यक्षता : जिलाधिकारी महोदय, मीरजापुर।

तिथि : 06.04.2026

समय : मध्यान्ह 01:00 बजे

स्थान/माध्यम : कलेक्ट्रेट सभाकक्ष, मीरजापुर

उपस्थिति : श्री रत्नाकर मिश्रा, मा0 विधायक, नगर विधानसभा, मीरजापुर।
श्री रमाशंकर सिंह पटेल, मा0 विधायक, मड़िहान विधानसभा, मीरजापुर।
श्रीमती शुचिस्मिता मौर्य, मा0 विधायिका, मझवाँ विधानसभा, मीरजापुर।
श्रीमती रिन्की कोल, मा0 विधायिका, छानबे विधानसभा मीरजापुर।
मुख्य विकास अधिकारी, मीरजापुर।
अपर जिलाधिकारी, नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति, मीरजापुर।
जिला विकास अधिकारी, मीरजापुर।
जिला पंचायत राज अधिकारी, मीरजापर।
अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, मीरजापुर।
अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, मीरजापुर।
अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-2, लो0नि0वि0, मीरजापुर।
अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण, खण्ड-मीरजापुर।
अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण, खण्ड-कछवाँ, मीरजापुर।
अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण, खण्ड-चुनार, मीरजापुर।
अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण प्रखण्ड, मीरजापुर।
अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय (वि/यॉ), उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), सोनभद्र।
अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), मीरजापुर।
मण्डल अभियन्ता, भारत नेट, वाराणसी परिक्षेत्र, वाराणसी।
समस्त सहायक/अवर अभियन्ता, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), मीरजापुर।
टीम लीडर, पी0एम0सी0/टी0पी0आई0, मीरजापुर।
समस्त परियोजना प्रबन्धक, कार्यदायी संस्था, जल जीवन मिशन प्रोजेक्ट, मीरजापुर।

जनपद मीरजापुर में पेयजल आपूर्ति को सर्वोच्च प्राथमिकता के रूप में लेते हुये माननीय विधायक/विधायिका, विधान सभा क्षेत्र-नगर/मड़िहान/छानबे/मझवां की उपस्थिति में जल जीवन मिशन के अन्तर्गत संचालित योजनाओं की गहन एवं व्यापक समीक्षा करते हुये निम्नलिखित निर्देश दिये गये :-

1. <u>जनपद स्तरीय प्रगति</u> :-

बैठक के दौरान अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद में संचालित कुल 09 योजनाओं के अन्तर्गत कुल 1610 राजस्व ग्राम आच्छादित है, जिनमें 1063 राजस्व ग्रामों में शत्-प्रतिशत पेयजल

आपूर्ति नियमित रूप से संचालित है। 19 राजस्व ग्रामों जलापूर्ति पूर्ण रूप से बाधित एवं अवशेष राजस्व ग्रामों में आंशिक रूप से जलापूर्ति सुनिश्चित की जा रही है।

तद्क्रम में अधोहस्ताक्षरी निर्देशित किया गया कि आंशिक एवं बाधित समस्त राजस्व ग्रामों को चिन्हित कर प्राथमिकता के आधार पर तत्काल रूप से मैनपावर में वृद्धि करते हुये सभी ग्रामों में नियमित (प्रातः एवं सायं) जलापूर्ति कराना सुनिश्चित करें। अन्यथा की दशा कार्यदायी संस्था के विरूद्ध कठोर कार्यवाही किया जाए।

2. <u>पाइपलाइन क्षतिग्रस्त की प्रगति</u> :-

बैठक के दौरान अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) द्वारा अवगत कराया गया कि कुल 292 स्थलों पर पाइपलाइन क्षतिग्रस्त पायी गई। जिसमें कुल 136 स्थलों पर पाइप लाइन मरम्मत का कार्य पूर्ण किया जा चुका है तथा 156 स्थलों पर कार्य पूर्ण करना अवशेष है।

तद्क्रम में अधोहस्ताक्षरी द्वारा कड़ी चेतावनी के साथ समस्त कार्यदायी संस्थाओं को निर्देशित किया जाता है कि मैनपावर में वृद्धि करते हुये समस्त क्षतिग्रस्त पाइप लाईनों के मरम्मत का कार्य एक सप्ताह के अन्दर पूर्ण करवाते हुये नियमित रूप से जलापूर्ति कराना सुनिश्चित करें। इसके अतिरिक्त यह भी निर्देशित किया जाता है कि बिना पूर्व समन्वय के किसी अन्य विभागों द्वारा खुदाई/निर्माण कार्य नही किया जायेगा। यदि किसी अन्य विभागों द्वारा कार्यो के दौरान जल जीवन मिशन योजना के तहत बिछायी गयी पाइप लाइन को क्षतिग्रस्त किया जाता है तो उसकी मरम्मत/क्षतिपूर्ति सम्बन्धित विभाग द्वारा की जायेगी।

3. <u>गुणवत्ता जाँच की प्रगति</u> :-

जल जीवन मिशन योजनान्तर्गत पाइप लाइन बिछाने जाने के कार्यो की गुणवत्ता एवं मानको की तकनीकी जाँच हेतु सम्बन्धित ग्रामों का संयुक्त निरीक्षण उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) विभाग व टी0पी0आई0 द्वारा किया जाए। इसके अतिरिक्त अपर जिलाधिकारी, नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति व अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) द्वारा जनपद के मा0 विधायकगणों से समन्वय स्थापित कर सम्बन्धित ग्रामों का संयुक्त स्थलीय निरीक्षण कराया जाए एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई कमियों/समस्याओं की रिपोर्ट तैयार कर तत्काल निस्तारण कराना सुनिश्चित करें। उपरोक्त निरीक्षण के दौरान कार्यदायी संस्थाओं कर्मचारी/अधिकारी व जल निगम विभाग के अधिकारी एवं टी0पी0आई0/पी0एम0सी0 की भी उपस्थिति सुनिश्चित करायी जाए।

4. <u>मानव संसाधन में वृद्धि</u> :-

समस्त परियोजना प्रबन्धक, कार्यदायी संस्था, जल जीवन मिशन प्रोजेक्ट को निर्देशित किया जाता है कि अपने स्तर पर मैनपावर में पर्याप्त वृद्धि करें। प्रत्येक साइट पर आवश्यक तकनीकी स्टाफ एवं फील्ड ईंजीनियर की उपलब्धता सुनिश्चित करायी जाए।

अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) को निर्देशित किया जाता है कि समस्त कार्यदायी संस्थाओं द्वारा निर्देश के बावजूद भी पर्याप्त मैनपावर की उपलब्धता सुनिश्चित न कराए जाने की स्थिति में उनके विरूद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जाए। साथ ही कार्यदायी संस्थाओं द्वारा लगाये गये मैनपावर का विवरण (नाम, पदनाम, तैनाती स्थल व मो0नं0 सहित) रिपोर्ट 03 दिवस अन्दर अपर जिलाधिकारी, नमामि गंगे कार्यालय में प्रत्येक दशा में उपलब्ध करा दिया जाए।

5. **<u>डी0पी0आर0 के अन्तर्गत एवं बाहर के ग्राम</u>** :-

अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) को निर्देशित किया जाता है कि डी0पी0आर0 में सम्मिलित ग्रामों में शत्-प्रतिशत जलापूर्ति कराना सुनिश्चित करें। डी0पी0आर0 से बाहर के ग्रामों का स्थलीय निरीक्षणोपरान्त पुनः सूची तैयार कर शासन को प्रेषित की जाए।

6. **<u>जल उपलब्धता (ग्रीष्मकाल)</u>** :-

अधिशासी अभियन्ता, सिचाई खण्ड-चुनार/सिरसी बान्ध प्रखण्ड/मीरजापुर नहर प्रखण्ड को निर्देशित किया जाता है कि डैम/जल स्त्रोतो में पेयजल हेतु पर्याप्त जल उपलब्धता बनाये रखना सुनिश्चित करें तथा जल स्तर की सत्त निगरानी करायी जाए।

अधोहस्ताक्षरी द्वारा बैठक के दौरान सम्बन्धित अधिकारी/कार्यदायी संस्थाओं को निम्न बिन्दुओं पर तत्काल अनुपालन सुनिश्चित किये <u>जाने हेतु निर्देशित किया गया</u> :-

- समस्त सहायक/अवर अभियन्ता, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) को निर्देशित किया गया कि व्यक्तिगत रूप से खण्ड विकास अधिकारियों से समन्वय स्थापित कर समस्त समस्याओं का निकराकण कराना सुनिश्चित करें तथा प्रत्येक ग्राम चौपाल में सम्बन्धित कार्यदायी संस्थाओं के स्वयं भी प्रतिभाग करें। यदि अधोहस्ताक्षरी के संज्ञान में यह तथ्य प्रकाश में आया कि आयोजित ग्राम चौपालों जल जीवन मिशन से सम्बन्धित कार्यदायी संस्थाओं व जल निगम विभाग के अधिकारी द्वारा प्रतिभाग नही किया जा रहा है तो ऐसी स्थिति में सम्बन्धित अधिकारियों/कर्मचारियों व कार्यदायी संस्था के विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी।
- समस्त कार्यदायी संस्थाओं को निर्देशित किया गया कि अप्रैल-2026 तक सभी निर्धारित कार्य 100 प्रतिशत पूर्ण होने चाहिये तथा रोस्टर के अनुसार नियमित जलापूर्ति कराना सुनिश्चित करें। लापरवाही बरतने वाली संस्थाओं और उत्तरदायी अधिकारियों के विरूद्ध प्रतिकूल प्रविष्टि एवं अन्य दण्डात्मक कार्यवाही हेतु शासन को पत्र प्रेषित किया जायेगा।
- टीम लीडर टी0पी0आई0 को निर्देशित किया गया कि सभी राजस्व ग्रामों में जलापूर्ति की धरातलीय जाँच कर विस्तृत रिपोर्ट अविलम्ब प्रस्तुत करें तथा अवशेष रोड रेस्टोरेशन व मानक के अनुसार न बनाई गई सड़को की भी विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) को उपलब्ध करायी जाए।
- समस्त कार्यदायी संस्था को निर्देशित किया जाता है कि अपने-अपने क्षेत्रान्तर्गत पड़ने वाले **<u>राजस्व ग्रामों में शत्-प्रतिशत रोड रेस्टोरेशन का कार्य</u>** पूर्ण कराया जाये, क्यों कि जनपद में नामित समस्त आधिकारीगणों/विधायकों एवं ग्रामनिवासियों द्वारा प्रतिदिन दूरभाष एवं लिखित रूप से पूर्व निर्मित सड़क खोदकर पुनः ठीक न कराए जाने से सम्बन्धित समस्या से अवगत कराया जा रहा है, जिससे यह प्रतीत होता है कि कार्यदायी संस्था द्वारा रोड रेस्टोरेशन के कार्यों में लापरवाही की जा रही है खराब सड़को की वजह से स्थानीय ग्रामवासियों को यातायात सम्बन्धी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।
- अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय (वि0/या0), उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), सोनभद्र को निर्देशित किया जाता है कि विद्युत से सम्बन्धित समस्त समस्याओं का निराकरण

प्रत्येक दशा में एक सप्ताह के अन्दर करा लें, ताकि आगामी गर्मी के दिनों में विद्युत समस्या की वजह से जलापूर्ति पर किसी भी प्रकार प्रतिकूल प्रभाव न पड़ सके।

अतः उपरोक्त निर्देशों का अनुपालन न करने वाली संस्थाओं/अभियन्ताओं/अधिकारियों के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

(पवन कुमार गंगवार)
जिलाधिकारी
मीरजापुर।

कार्यालय जिलाधिकारी, मीरजापुर।

पत्रांक-**1088** /आ0लि0-नमामि गंगे-2026 दिनांक **13** अप्रैल, 2026

---000---

प्रतिलिपि- **निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।**

1. मा0 विधायकगण, विधान सभा क्षेत्र-नगर/मड़िहान/चुनार/छानबे व मझवाँ, मीरजापुर को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. प्रबन्धक निदेशक, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3. आयुक्त, विन्ध्याचल मण्डल, मीरजापुर को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
4. अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
5. मुख्य विकास अधिकारी, मीरजापुर।
6. अपर जिलाधिकारी, नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति, मीरजापुर।
7. जिला विकास अधिकारी, मीरजापुर।
8. जिला पंचायत राज अधिकारी, मीरजापर।
9. अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, मीरजापर।
10. अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड/निर्माण खण्ड-2, लो0नि0वि0, मीरजापुर।
11. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण, खण्ड-प्रथम, द्वितीय एवं चुनार, मीरजापुर।
12. अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण प्रखण्ड, मीरजापुर।
13. अधिशासी अभियन्ता, (वि0/यॉ0), उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), सोनभद्र।
14. मण्डल अभियन्ता, भारत नेट, वाराणसी परिक्षेत्र, वाराणसी।
15. अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), मीरजापुर।
16. समस्त परियोजना प्रबन्धक, कार्यदायी संस्था, जल जीवन मिशन प्रोजेक्ट, मीरजापुर।
17. टीम लीडर, पी0एम0सी0/टी0पी0आई0, मीरजापुर।
18. अधिशासी अभियन्ता, समस्त सिचाई खण्ड, मीरजापुर।

जिलाधिकारी
मीरजापुर।